



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-07052026-272308  
CG-WB-E-07052026-272308

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2159]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 6, 2026/वैशाख 16, 1948

No. 2159]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 2026/VAISAKHA 16, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व रेलवे)

(रेलवे संरक्षा परियोजना विभाग)

अधिसूचना

कोलकाता, 6 मई, 2026

का.आ. 2248(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (7ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद् द्वारा नीचे दी गई टेबल के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को टेबल के कॉलम (4) में उल्लिखित रेलवे परियोजना (विशेष रेलवे परियोजना) के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के कार्यों को करने के लिए, उक्त टेबल के कॉलम (3) में उल्लिखित राज्य में निष्पादन, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए अधिकृत करती है, जो आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी है।

## टेबल

क्रम सं.	सक्षम प्राधिकारी	राज्य	रेलवे परियोजना का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	तहसीलदार, बस्ता	ओड़िशा	ओड़िशा राज्य के बालासोर जिले में अमर्दारोड-बस्ता स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग संख्या 57 के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण।
2.	तहसीलदार, बस्ता	ओड़िशा	ओड़िशाराज्य के बालासोर जिले में बस्ता – रुपसा स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग संख्या 67 के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण।
3.	तहसीलदार, बालासोर	ओड़िशा	ओड़िशा राज्य के बालासोर जिले में हल्दीपदा –बालेश्वर स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग संख्या 78 के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण।
4.	तहसीलदार, बहनगा	ओड़िशा	ओड़िशा राज्य के बालासोर जिले में खांतापाड़ा रेलवे यार्ड में लेवल क्रॉसिंग संख्या 89 के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण।
5.	मयूरभंजके भूमि अधिग्रहण अधिकारी	ओड़िशा	ओड़िशा राज्य के मयूरभंज जिले में बेतनटी - भांजपुर स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग संख्या RB-39 के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण।

[फा. सं. एसईआर/सीओएन/आरएसपी/एचक्यू/आरओबी/एलए/ओडी/3]

अनिल कुमार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(निर्माण)/आरएसपी

## MINISTRY OF RAILWAYS

(South Eastern Railway)

(Railway Safety Projects Department)

## NOTIFICATION

Kolkata, the 6th May, 2026

**S.O. 2248(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Table below to perform the functions of the Competent Authority in respect of the Railway Project (Special Railway Project) as mentioned in column (4) of the Table, for execution, maintenance, management and operation in the state as mentioned in column (3) of the said Table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

## TABLE

Sl. No.	Competent Authority	State	Name of Railway Project.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tahasilder, Basta	Odisha	Construction of Road Over Bridge (ROB) in lieu of Level Crossing No.57 in between Railway Station Amarda Road – Basta in the Balasore District of Odisha state.

2	Tahasilder, Basta.	Odisha	Construction of Road Over Bridge (ROB) in lieu of Level Crossing No.67 in between Railway station Basta - Rupsa in the District Balasore of Odisha state.
3	Tahasilder, Balasore	Odisha	Construction of Road Over Bridge (ROB) in lieu of Level Crossing No.78 in between Railway station Haldipara - Balasore in the District Balasore of Odisha state.
4	Tahasilder, Bahanaga	Odisha	Construction of Road Over Bridge (ROB) in lieu of Level Crossing No.89 in Khantapara Railway Yard in the District Balasore of Odisha state.
5	Land Acquisition Officer of Mayurbhanj	Odisha	Construction of Road Over Bridge (ROB) in lieu of Level Crossing No.RB-39 in between Railway station Betnoti - Bhanjpur in the District Mayurbhanj of Odisha state.

[F. No. SER/Con/RSP/HQ/ROB/LA/OD/3]

ANIL KUMAR, Chief Admin Officer(Con)/RSP